



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास व 11,000 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु०अ०सं०-611/2011 धारा-307/34,504 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 01.राजेन्द्र सिंह 02.वीरेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम बौखर, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को ₹ 5,500-5,500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री मणिकर्ण
शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० वीरेन्द्र
तिवारी



पैरोकार- थाना जरिया
का० भूपेन्द्र कुमार